मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-1-59/2018/20-1 भोपाल,दिनांक 10/08/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   म.प्र.
2. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम, म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत म.प्र.
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म.प्र.
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका/ नगर परिषद म.प्र. ।

विषय:-मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने बाबत।

--00--

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग),सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 [एतद पश्चात "भर्ती नियम 2018" संबोधित होंगे,] दिनांक 30.07.2018 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये गये है। । यह नियम 01/07/2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2. भर्ती नियम 2018 के नियम -5 में उल्लेखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

5 (1) "मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008" तथा "मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008" के अधीन 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में

नियुक्त और अन्य विहित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति विभाग में सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किये जाएगें। इन व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश अनुसूची-एक के कॉलम(6) में उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विर्निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाएंगे:

परन्तु नियम-2 की खण्ड (ख) में उल्लेखित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को इस उप नियम के अंतर्गत नियुक्त नही किया जाएगा ।

5 (2) मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 के उपअधीन नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को क्रमश प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

5 (3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक अध्यापक (गायन/वादन) को क्रमश: प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक श्रेणी-अ तथा गायन/वादन शिक्षक श्रेणी-अ के पद पर नियुक्त किया जाएगा।"

3. उपरोक्त प्रावधानों के तहत नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :

3.1 नियुक्ति संबंधी निर्हतायें :-

3.1.1 यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप असंचयी रूप से वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है तो जिस अवधि तक दण्ड का प्रभाव रहेगा उस अवधि तक नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

3.1.2 यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध किसी ऐसे आपराधिक प्रकरण जो नैतिक अधोपतन के अंतर्गत आता हैं, में शासन द्वारा अभियोजन की मंजूरी के उपरांत किसी न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, तो ऐसे अध्यापक की नियुक्ति सम्बंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में अध्यापक को दोषमुक्त होने के उपरांत ही नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

3.1.3 ऐसे अध्यापक जो निलंबित है एवं जिनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है, ऐसे प्रकरणों में अध्यापक के दोषमुक्त होने के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

3.1.4 ऐसे अध्यापक जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अध्ययीन किया गया है उनके प्रकरणों में न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा।

3.1.5 ऐसे अध्यापक जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, उन अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात ऐसे अध्यापकों जिनका विगत 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2018 के मध्य कम से कम 9 माह का वेतन जनरेट/ नहीं किया गया है और न ही अधिकृत रूप से अवकाश स्वीकृत है, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माने जायेंगे।

4. जिला स्तरीय समिति का गठन :-

भर्ती नियम 2018 में निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पात्रता निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित होगी :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-अध्यक्ष।
2- कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर स्तर से निम्न स्तर का न हो-सदस्य।
3- संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण द्वारा नामित अधिकारी-सदस्य।
4- आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद या उनके द्वारा नामित अधिकारी -सदस्य।
5- जिला शिक्षा अधिकारी-सचिव।
6- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित प्राचार्य उ.मा.वि.- सदस्य।

5. सेवा अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया :-

5.1 अध्यापक सवर्ग अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक

अध्यापक (गायन/वादन) के सेवा अभिलेखों का सत्यापन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

5.2 एजुकेशन पोर्टल के पे-रोल प्रणाली में दर्ज जानकारी परिशिष्ट -1 अनुसार एकजाई संकलित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को उनके लॉग इन में डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा । यह जानकारी सम्बंधित अध्यापक भी अपने लॉग इन में देख सकेंगे ।

5.3 उपरोक्त सूची में ऐसे सभी अध्यापक सम्मिलित होंगे जिनका विगत 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2018 के मध्य कम से कम 9 माह का वेतन जनरेट/ भुगतान किया गया हो ।

5.4 संकुल प्राचार्य द्वारा सूची के साथ- साथ प्रत्येक व्यक्ति का एक-एक व्यक्तिगत प्रपत्र (परिशिष्ट-1 अनुसार) भी डाउनलोड किया जायेगा जिसमे उपलब्ध जानकारी भरी हुई आएगी और जो जानकारी HRMIS में नहीं होगी, वह कॉलम रिक्त (Blank) होगा।

5.5 संकुल प्राचार्य द्वारा निर्धारित दिनांकों में शिविर आयोजित कर अपने संकुल अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों को अपने अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जायेगा। शिविर की समय सारिणी आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा पृथक से जारी की जाएगी ।

5.6 ऐसे अध्यापक जो किसी अन्य विभाग / कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है वह अपनी मूल संस्था के संकुल केंद्र में समस्त अभिलेखों और प्रमाणीकरण के साथ उपस्थित होंगे और यदि उनका वेतन पोर्टल से जनरेट नहीं होता है इसके कारण प्रपत्र जनरेट नहीं होने की स्थिति में परिशिष्ट 1 अनुसार रिक्त प्रपत्र पर समस्त जानकारी भरकर और जिस संस्था में प्रतिनियुक्ति पर है, उसका प्रमाणीकरण संलग्न कर संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे।

5.7 सम्बंधित अध्यापक द्वारा शिविर में उपस्थित होकर अपने प्रपत्र में उपलब्ध जानकारी का मिलान किया जायेगा और यदि किसी जानकारी में संशोधन आवश्यक होगा तो दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा और रिक्त कॉलम की जानकारी को भरा जाएगा और प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये जाकर सम्बंधित संकुल प्राचार्य को देकर पावती प्राप्त की जाएगी। संशोधित की गयी जानकारी का प्रमाणीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

5.8 सम्बंधित अध्यापकों द्वारा शिविर में निम्न अभिलेख स्व-प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जायेंगे

I. प्रथम नियुक्ति का आदेश

II. अध्यापक संवर्ग में संविलियन का आदेश

III. जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल की अंक सूची
IV. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
V. व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र
VI. अतिरिक्त योग्यता (यदि कोई हो तो)
VII. राष्ट्रीय / राज्य स्तर का पुरस्कार (यदि कोई हो तो)
VIII. स्व-घोषणा पत्र (परिशिष्ट - 2 अनुसार)
IX. विकल्प पत्र (भर्ती नियम 18 के अनुसार)
X. जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र।

5.9 अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति द्वारा प्रपत्र में भरी गयी जानकारी का मिलान संकुल प्राचार्य द्वारा सम्बंधित की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखों से किया जायेगा तत्पश्चात पोर्टल पर अपने यूजर पासवर्ड के माध्यम जानकारी को अद्यतन किया जायेगा । सभी फ़ील्ड्स की जानकारी भरना एवं उपरोक्त दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5.10 अद्यतन करने के बाद संकुल प्राचार्य द्वारा अपडेटेड सूची का प्रिंट निकालकर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और अध्यापक वार प्राप्त अभिलेखों को प्रमाणित कर व्यक्तिगत फाइल्स जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

5.11 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल से अद्यतन की गयी सूची का प्रिंट निकालेंगे और संकुल प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत की गयी व्यक्तिगत प्रमाणित जानकारी से क्रॉस चेक करेंगे । तत्पश्चात निकायवार सूची (प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षरित) सम्बंधित नियुक्तिकर्ता निकाय को सत्यापन हेतु प्रेषित करेंगे। व्यक्तिगत फाइल्स को सुरक्षित रिकॉर्ड में रखेंगे ।

5.12 सम्बंधित निकायों द्वारा उपरोक्त सूची का परीक्षण अपने यहाँ संधारित रिकॉर्ड से किया जायेगा और यह पुष्टि की जाएगी कि सूची में उपलब्ध सभी अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति उनके द्वारा नियुक्त किये गए है ।

5.13 निकाय द्वारा परीक्षण कर सूची जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आहूत की जाएगी और निकाय से प्राप्त सूची पर नियुक्ति हेतु पात्र / अपात्र अथवा लंबित रखने हेतु निर्णय कराया जायेगा और समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर प्रमाणित सूची सुरक्षित रखी जाएगी।

5.14 प्रमाणित सूची अनुसार पात्र / अपात्र / लंबित की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी । अपात्र / लंबित होंने की स्थिति में उसका

कारण कंडिका 3.1 के अनुसार आवश्यक रूप से अंकित किया जायेगा। अमान्य किये गए प्रकरणों की सूची पृथक से भी कारण सहित पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सूची प्रावधिक सूची होगी ।

5.15 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रावधिक सूची का प्रिंट निकालकर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर समिति द्वारा हस्ताक्षर कर कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा और पोर्टल पर पीडीऍफ़ में अपलोड किया जायेगा।

6. प्रावधिक सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करना एवं विनिश्चय करना :-

6.1 नियुक्ति हेतु अपात्र एवं लंबित रखे गए अध्यापकों द्वारा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से प्रावधिक सूची पर अपने यूजर पासवर्ड का उपयोग करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। आपत्ति का विनिश्चय समिति द्वारा किया जाकर पोर्टल पर अद्यतन किया जायेगा, तत्पश्चात सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा |

6.2 अंतिम (फाइनल) अपडेटेड सूची का निकायवार प्रिंटआउट निकालकर जिला स्तरीय समिति के हस्ताक्षर कर एजुकेशन पोर्टल पर पीडीऍफ़ में अपलोड किया जायेगा।

6.3 उपरोक्त अंतिम सूची सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक वार पृथक पृथक और निकायवार जनरेट की जाएगी।

6.4 उपरोक्त सूची में से अध्यापक की अंतिम सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक को एवं वरिष्ठ अध्यापक की अंतिम सूची आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रेषित / फॉरवर्ड की जाएगी साथ में उपरोक्त अध्यापकों की मूल फाइल्स भी प्रेषित की जाएगी ।

7. नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया :-

7.1 आयुक्त, लोक शिक्षण / संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से नियुक्ति हेतु पात्र / अपात्र का चिन्हांकन किया जाकर पात्र पाए गए व्यक्तियों के आदेश जारी करने की कार्यवाही की जाएगी | लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के, संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के आदेश जारी किये जायेंगे |

(अजय कुमार शर्मा) 18.8.18
अपर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ-1-59/2018/20-1, भोपाल,दिनांक 10/08/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, (राजस्व) मध्यप्रदेश ।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
9. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल ।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC, विन्ध्यांचल भवन भोपाल
11. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी, स्कूल शिक्षा समस्त डी.पी.सी./बी.आर.सी.सी./ जिला शिक्षा केन्द्र म.प्र.।

10.8.18

अपर सचिव

म.प्र. शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट -1

अध्यापक संवर्ग से नियमित कैडर से नियुक्त होने वाले अध्यापकों के सत्यापन का प्रारूप

जिला	विकास खंड	निकाय	स्कूल का नाम	शाला का नाम	DISE Code	स्कूल प्रबंधन (जनजाति स्कूल शिक्षा/ अन्य)	ग्रामीण /शहरी	अध्यापक का नाम	यूनिक कोड	पद नाम	आधार	पैन नंबर	PRAN नंबर	मोबाइल नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ई-मेल	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	डी एड /बी.एड मान्यता प्राप्त संस्थान से है ? हाँ / नहीं	स्नातक परीक्षा में लिए गए विषय			स्नातकोत्तर में लिए गया मुख्य विषय	नियुक्ति किस विषय में हुई ?	क्या दिव्यांग कोटा अंतर्गत नियुक्ति हुई है ? हाँ / नहीं	पुरुष / महिला	जन्मतिथि	श्रेणी वर्ग (SC/ST/OBC/UR)	प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षाकर्मी / संविदा शिक्षक पद पर)	प्रथम नियुक्ति दिनांक सहा.अध्यापक/ अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक पद पर)
				विषय 1	विषय 2	विषय 3								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

सम्बंधित का वेतन जुलाई 1 अप्रैल 17 से जून 18 के मध्य पोर्टल से जनरेट हुआ है हाँ/नहीं	यदि नहीं तो कारण	क्या कोई विभागीय जांच लंबित है ? हाँ / नहीं	क्या निलंबित है ? हाँ / नहीं (यदि हाँ तो आदेश क्र. दिनांक / कर्ता का नाम)	क्या कोई दंड वर्तमान में प्रभावशील है ? हाँ / नहीं यदि हाँ तो आदेश क्र. एवं दण्डित करने वाले अधिकारी का पद नाम	क्या 1-4-17 से 30-6-2018 तक की अवधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है ? हाँ / नहीं	क्या किसी न्यायालय में चालान पेश किया गया है ? हाँ / नहीं	क्या प्रतिनियुक्ति पर है ? हाँ / नहीं यदि हाँ तो संस्था का नाम एवं आदेशकर्ता का नाम व पदनाम	यदि पदोन्नति हुई है तो आदेश क्र. दिनांक	नवीन संवर्ग में पात्र / अपात्र /लंबित (जिला स्तरीय समिति द्वारा भरा जाए)	रिमार्क
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

१. उपरोक्त प्रविष्टियों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ/ नहीं

२. प्रविष्टियों से असहमति की दशा में प्रविष्टि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	प्रविष्टि क्र.	असहमति का कारण	प्रस्तावित संशोधन
1			
2			
3			
4			
5			

कोई विशेष योग्यता	कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो विवरण दें

१. मेरा स्व-घोषणा पत्र एवं विकल्प संलग्न है

हस्ताक्षर

** 33 कारण - १. अधिकृत रूप से अवकाश पर होने से , २. प्रतिनियुक्ति पर होने से , अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने से (अवकाश होने की स्थिति में प्रदाय कर्ता का नाम व पद नाम)

**17 शैक्षणिक योग्यता - हा.से. / स्नातक/ स्नातकोत्तर आदि

**18 व्यावसायिक योग्यता - डी एड. /बी.एड आदि

परिशिष्ट–2

स्व–घोषणा पत्र

1. मैं.................................पदनाम.........................यूनिक कोड.................संस्था...........................संकुल केन्द्र..................विकासखण्ड..............
..................जिला.................................यह घोषणा करता/करती हूं कि–

1. मैं स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन नियमों के तहत् नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान करता/करती हूं।
2. मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जांच प्रचलित नहीं है।
3. मैं दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में किसी भी प्रकार के दण्ड की अवधि में नही आता हूं।
4. मेरे विरूद्ध लोकायुक्त अथवा अन्य जॉच एजेंसियों द्वारा शिकायत के फलस्वरूप न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण प्रचलित नहीं है।
6. मैं नवीन नियमों के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु प्रावधानित सभी विहित अर्हताओं की पूर्ति करता हूं।

उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरी नवीन नियमों के तहत् शिक्षक संवर्ग में की गई नियुक्ति किसी भी स्थिति में समाप्त की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

नाम..................................

दिनांक..................................

परिशिष्ट–एक

[देखें म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग)सेवा शर्तें एंव भर्ती नियम 2018]

विकल्प का प्रारूप

[नियम–18 (1) (2) देखें]

मैं..पदनाम–वरिष्ठअध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन),शासकीय विद्यालय........................नियुक्तिकर्ता निकाय.................जिला.................वर्तमान में स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत हूं। मैं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के नियम–5, के उपनियम (1), (2), एवं (3), तथा नियम–18 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2) में उल्लेखित प्रावधान के अधीन............................स्कूल शिक्षा विभाग में पद.................................(उच्च माध्यमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक/खेलकूद शिक्षक श्रेणी–अ/प्रयोगशाला शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक श्रेणी–अ) पर नियुक्त करने का विकल्प देता हूं। नियमों में उल्लेखित प्रावधान एवं शर्तें मुझे मान्य होगी तथा मेरे द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने के पश्चात मेरे द्वारा पूर्व की गई सेवा अवधि (अध्यापक संवर्ग के रूप में) के वेतनमान एवं भत्तो आदि की मांग इस सेवा के सन्दर्भ में नही की जायेगी।

अथवा

मैं................................पदनाम–वरिष्ठअध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक

(व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन) शासकीय विद्यालय..............................नियुक्तिकर्ता निकाय.............जिला..................वर्तमान में स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत हूं। मैं यथावत् अपने मूल नियुक्तकर्ता निकाय.........(जिला पंचायत/नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) जिला....................................में यथावत् बना रहना चाहता हूं।

हस्ताक्षर

विकल्पकर्ता का नाम.....................
पदनाम..
कार्यरत संस्था का नाम..................
कार्यरत निकाय का नाम.............
जिला..

दिनांक...........................
स्थान............................
1.साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर
2.साक्षी का नाम एव हस्ताक्षर